

अल्पकालीन कोटेशन की विवरणी

दिनांक-22.03.2015 को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक-22 से 24 मार्च, 2015 तक बिहार फाउन्डेशन, पटना द्वारा पटना के ऐतिहासिक गाँधी मैदान में पंडाल लगाने का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जानी है:-

- (i) गाँधी मैदान में प्राप्त कार्यस्थल जो 2000 sq.ft. की होगी जिसके लिए एक पंडाल लगाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- (ii) पंडाल के अन्दर एक स्टेज उसके Topping Treatment के साथ किया जाना है। स्टेज के दाएँ एवं बाएँ ओर Green Room की व्यवस्था की जानी है।
- (iii) पंडाल में बैठने हेतु करीब 20 की संख्या में VIP Sofa/Chairs के साथ 50 की संख्या में नई प्लास्टिक की कुर्सियाँ की व्यवस्था रहेंगी। साथ ही Green Room में भी 10-10 प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी जाएगी। उक्त कार्य हेतु टेबुल आदि का प्रबंध किया जाना है।
- (iv) कार्यक्रम के संचालन हेतु दो Users की व्यवस्था का कार्य।
- (v) LCD/LED Projector with Black Masking Screen.
- (vi) पंडाल के अंदर एवं बाहर साज-सज्जा हेतु गमले के साथ फूल की व्यवस्था का कार्य।
- (vii) LED T.V. बड़े आकार में जिसमें Videography के दौरान सभी Event Live प्रस्तुति का कार्य।
- (viii) सभी प्रकार के विद्युत कार्य यथा, पंडाल के साज-सज्जा हेतु Glittering Light, Focus Light, Ceiling Fan, Table Fan, Switch Board with Three Pin Facility, झुमर आदि के व्यवस्था का कार्य।
- (ix) Back Drop के प्रिंटिंग, Pasting आदि के कार्य के साथ सभी प्रकारी के पोस्टर्स/बैनर लगाने का कार्य।
- (x) पंडाल में नई हरी कॉरपेट के व्यवस्था का कार्य।

उपर्युक्त सभी कार्य के अलावा पंडाल लगाने से संबंधित अतिरिक्त कार्य जो समयानुसार आपके द्वारा किया जा सकेगा। उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार के सामान के रख-रखाव आदि की जिम्मेदारी आपकी होगी, इसके लिए बिहार फाउन्डेशन किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं होगा।

नोट:-1. उक्त कार्य हेतु वैसे ख्याति प्राप्त संवेदक ही कोटेशन में भाग ले जिनकी वित्तीय स्थिति उक्त कार्य को कराने के अनुरूप हो।

2. कोटेशन के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि कोटेशनदाता की संस्था का नाम किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/PSU या अन्य के द्वारा डिवार/काली सूची में नहीं डाली गई हो।

3. उक्त कार्य हेतु Joint Venture वाली संस्था प्रतिभागी ना बनें।

4. यह सुनिश्चित कर लें कि पंडाल आदि के कार्य में सभी प्रकार के कपड़े, कुर्सियाँ, कॉरपेट आदि नई होनी चाहिए।

5. उपर्युक्त के अनुरूप कार्य संपादित नहीं होने पर संबंधित विपत्र से उचित राशि की कटौती की जा सकती है।

6. कोटेशनदाता को सेवाकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस हेतु सेवाकर में निबंधन से संबंधित कागजात जमा करना अनिवार्य है।